



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092022-239007  
CG-DL-E-22092022-239007

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4240]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2022/भाद्र 31, 1944

No. 4240]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022/BHADRA 31, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

का.आ. 4424(अ).—यतः मै. अदानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड (पूर्व मै. मुन्द्रा पोर्ट एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड), ने गुजरात राज्य में कच्छ जिले के मुन्द्रा तालुक में एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने मै. मुन्द्रा पोर्ट एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड से मै. अदानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 1365(अ) दिनांक 27 मई, 2009, का.आ. 583(अ) दिनांक 26 मार्च, 2012, का.आ. 1443(अ) दिनांक 31 मई, 2013 तथा का.आ. 3379(अ) दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को समेकित कर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 3029(अ) दिनांक 21 सितम्बर, 2016 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 8481.2784 हेक्टेयर के क्षेत्र को पुनः अधिसूचित और तत्पश्चात् राजपत्र सं. का.आ. 2452(अ) दिनांक 4 जुलाई, 2019 एवं का.आ. 4904(अ) दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से क्रमशः 46.6894 हेक्टेयर एवं 151.8220 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. अदानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 48.5830 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, गुजरात सरकार ने उनके पत्र सं. आईसी/इन्फ्रा/एसईजेड/एनओसी/1818886 दिनांक 12 जुलाई, 2022 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, एपीएसईजेड, ने विशेष आर्थिक जोन के 48.5830 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की हैं। इसके अलावा, डेवलपर के अनुसार प्रस्तावित अनधिसूचित भूमि का उपयोग आयातित कच्चे तेल के भंडारण के लिए कच्चे तेल टर्मिनल सुविधाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य में कच्छ जिले के मुन्द्रा तालुका में विशेष आर्थिक जोन में से 48.5830 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 8234.1840 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र हेतु नीचे तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्: -

#### अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	मुन्द्रा	जीएमबी/जीएपीएल लैंड (ओल्ड भारत सॉल्ट लैंड)	48.5830
कुल			48.5830
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			8234.1840

[फा. सं. एफ.1/12/2016-एसईजेड]

विपुल बंसल, सयुक्त सचिव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2022

**S.O. 4424(E).**—Whereas, M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Limited (formerly M/s. Mundra Port and Special Economic Zone Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Multi-Product Special Economic Zone at Mundra Taluka, District Kutch, in the State of Gujarat;

AND, WHEREAS, the Central Government approved the request of change of name from M/s. Mundra Port and SEZ Limited to M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Limited;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, re-notified an area of 8481.2784 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 3029(E) dated 21st September, 2016 by consolidating all the Special Economic Zones notified earlier vide Notification Nos. S.O.1365 (E) dated 27th May, 2009; S.O. 583(E) dated 26th March, 2012; S.O. 1443(E) dated 31st May, 2013 and S.O. 3379(E) dated 11th December, 2015 and subsequently, de-notified 46.6894 hectares and 151.8220 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Nos. S.O. 2452(E) dated 4<sup>th</sup> July, 2019 and S.O. 4904(E) dated 29<sup>th</sup> November, 2021, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Limited has now proposed for de-notification of 48.5830 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Gujarat has given its approval to the proposal vide letter No. IC/INFRA/SEZ/NOC/1818886 dated 12<sup>th</sup> July, 2022;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, APSEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 48.5830 hectares of the Special Economic Zone. Further, as per the Developer, the proposed de-notified area of 48.5830 hectares shall be utilized to set up Crude Oil Terminal facilities for storage of imported crude;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby partial de-notifies an area of 48.5830 hectares at Mundra Taluka, District Kutch, in the State of Gujarat, thereby making resultant area as 8234.1840 hectares. The Survey number and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

**TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA**

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1.	Mundra	GMB/GAPL LAND (Old Bharat salt land)	48.5830
Total			48.5830
Grand Total Area of SEZ after above deletion			8234.1840

[F. No. F.1/12/2016-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.